प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में

उप निदेशक मत्स्य
. .. .
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण.
....।

पत्रांक 2380 /नि0शा0/वि0स्वी0–5 दिनांक 23 अक्तूबर, 2018.

विषयः ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में धनराशि रू0 375.60 लाख की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन :

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 27/2018/1479/सत्रह–म–2018–6–9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा संलग्न सूची के अनुसार प्रति मछुआ आवास की इकाई लागत धनराशि रू0 1.20 लाख की दर से 14 जनपदों में 313 मछुआ आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 225.36 लाख के सापेक्ष ब्लू रिवोल्यूशन– इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 375.60 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख साठ हजार मात्र) जिसमें केन्द्रांश धनराशि रू0 225.36 लाख तथा मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 150.24 लाख सम्मिलित है की धनराशि की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन– इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0–20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333 2016 दिनांक 24.12.2016 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश/ गाइडलाइन्स, एवं शासनादेश सं0–18/2017/1128/ त्रह–म–2017–6–9(333)/2016 दिनांक 07.07.2017 व शासनादेश सं0–02/2018/2236/सत्रह–म–2018–6 –9(333)/2016 दिनांक 23.01.2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2–स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
3–निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा।
4–निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कय की जाने वाली सामग्री/उपकरण के कय की कार्यवाही हेतु समय समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5– प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में सुनिश्चित किया जायेगा।
6–प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7–प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित मद से अन्य किसी मद/योजना में अनुमन्य नहीं होगा।
8–यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यकम में इस मद में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।
9–जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
10–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30–03–2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018 दिनांक 24–04–2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)– योजनान्तर्गत प्रस्तावित 313 मछुआ आवासों का आवंटन एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

Awas 1(2)2017-18

Scanned by CamScanner

(3) उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान सं0–17 के अधीन "लेखा शीर्षक –2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102 ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज (राज्यांश) 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

(4) उक्त बजट का आवंटन का अंकन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (79) पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक /नि0शा0/ वि0स्वी0–5 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– प्रभारी कम्प्यूटर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

/

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

(3) उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान सं0–17 के अधीन "लेखा शीर्षक –2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102 ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज (राज्यांश) 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

(4) उक्त बजट का आवंटन का अंकन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (79) पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

/

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 2380 /नि0शा0/ वि0स्वी0–5 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– प्रभारी कम्प्यूटर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

संख्या: 27 /2018/1479 / सत्रह-म-2018-6-9 (333) /2016 टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

(एस० के० सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ० प्र०

मत्स्य उत्पादन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर 2018

विषय ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 375.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 551/नियो0शा0/16-22(9)/ वि0 स्वी0-5 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 14 जनपदों में 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदवार अपेक्षित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 375.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्त विभाग द्वारा अंकित आर0ई0- 99/ई-1-दस -2018 दिनांक 24.09.2018 के माध्यम से रू0 375.60 लाख के पुनर्विनियोग विषयक बी0एम0-9 (संलग्न) पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित 313 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-1203113/48/2017-एफवाई दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र संख्या- जे-1203113/37/2017-एफवाई दिनांक 11 जून.2018 के माध्यम से केन्द्रांश रू0 225.36 लाख अवमुक्त किया गया है। चूंकि योजना 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश की है। फलत: योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश रू0 225.36 लाख तथा मैंचिंग राज्यांश रू0 150.24 लाख सहित कुल रू0 375.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (संलग्नक-1) के अनुसार निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज"योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग -

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(4) निर्माण कार्यो के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री /उपकरण के क्रय की कार्यवाही हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित मद से अन्य किसी मद/योजना में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/ बी-1 -375 / दस -2018-231 /2018 दिनांक 30-03-2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2018/ बी-1 -438 / दस -2018-231 /2018 दिनांक 24-04-2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत प्रस्तावित 313 मछुआ आवासों का आवंटन एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण संलग्नक -2 के अनुसार होगी।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या -17 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01 -केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज(राज्यांश) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या- ई-1-719/दस- 2018 दिनांक 09 अक्टूबर ,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या :27 /2018 /1479(1)/सत्रह-म- 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।

3- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।

6- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

संलग्नक-2

(शासनादेश संख्या:27/ 2018 /1479 /सत्रह-म-2018-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक ।। अक्टूबर 2018)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2017-18 का लक्ष्य	आवंटित धनराशि (रू01.20 लाख प्रति आवास)
1	आगरा	40	48.00
2	फिरोजाबाद	33	39.60
	आगरा मण्डल	**73**	**87.60**
3	कन्नौज	20	24.00
	कानपुर मण्डल	**20**	**24.00**
4	फतेहपुर	20	24.00
	इलाहाबाद मण्डल	**20**	**24.00**
5	गोरखपुर	20	24.00
6	देवरिया	20	24.00
	गोरखपुर मण्डल	**40**	**48.00**
7	बॉदा	20	24.00
8	महोबा	20	24.00
	चित्रकूट धाम मण्डल	**40**	**48.00**
9	गोण्डा	20	24.00
	देवीपाटन मण्डल	**20**	**24.00**
10	मुरादाबाद	20	24.00
	मुरादाबाद मण्डल	**20**	**24.00**
11	हरदोई	20	24.00
	लखनऊ मण्डल	**20**	**24.00**
12	वाराणसी	20	24.00
13	चन्दौली	20	24.00
14	गाजीपुर	20	24.00
	वाराणसी मण्डल	**60**	**72.00**
	कुल योग -	**313**	**375.60**

(कुल रूपया तीन करोड पचहत्तर लाख साठ हजार मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

सलग्नक-1

अनुदान संख्या– 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य) वित्तीय वर्ष 2018–19 प्रपत्र बी0एम0–9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदिन धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2405–मछली पालन–800–अन्य व्यय–06–मछुआ आवास योजना– 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान (240500800060035)	799.20	799.20	375.60	375.60	423.60
योग	799.20	799.20	375.60	375.60	423.60

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावतित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (8–11)
7	8	9	10	11	12
2405–मछली पालन –101–अन्तर्देशीय मछली पालन–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें– 0102– ब्लू रिवोल्यूशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज (राज्यांश) –35 पूंजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान (240500101010235)	0	375.60	375.60	375.60	375.60
योग	0	375.60	375.60	375.60	375.60

संख्या– आर0ई0 99/ई–1–दस–2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018

1–स्तम्भ–3 मे उपलब्ध बचत का कारण।
शासन द्वारा शत प्रतिशत राज्य पोषित उक्त योजना के मद में धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। भारत सरकार द्वारा इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज "ब्लू रिवोलुशन" योजना में मछुआ आवास योजना में धनराशि की व्यवस्था की है जिस कारण 06–मछुआ आवास योजना–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान योजना के वित्तीय वर्ष 2018–19 में संचालन होने की संभावना नहीं है।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

2– स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–

(क) उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत व्यय है।

3– प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

हस्ताक्षर..................
नाम व पदनाम– ~~बृजेश सिंह यादव~~ (विशेष सचिव)
प्रशासकीय विभाग मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर..................
नाम व पदनाम– (नीलेश कुमार सिंह)
अनुसचिव, वित्त।

Scanned by CamScanner

संख्या : 1172 (1)/सत्रह–म–2018 दिनांक 28 सितम्बर,2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

2–सम्बंधित कोषाधिकारी लखनऊ।

3–निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।

4–वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 तीन प्रतियों में ।

5– वित्त व्यय नियत्रंण–1

6–गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर ....

नाम व पदनाम– बृजराज सिंह यादव (विशेष सचिव)

पशासकीय विभाग– मत्स्य विभाग ।

Scanned by CamScanner